



11/11/22



खारिज की जाती हैं। साथ ही जिला कलेक्टर पाली को निर्देशित किया जाता है कि विचाराधीन अपील में विवादग्रस्त आराजी सरकारी (सिवायचक) भूमि से संबंधित है तथा भूमि की किस्म गैर मुमकीन पायतन है। यदि विवादग्रस्त भूमि माननीय राज0 उच्च न्यायालय के प्रकरण अनवान अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय के अनुरूप पायी जाती है तथा माननीय राज0 उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय की परिधि में कवर होती है तो विवादग्रस्त भूमि के संबंध में नियमानुसार रेफरेन्स (Reference) पेश करने की कार्यवाही करे। अधिनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड आदेशिका की प्रति सहित लौटाया जावे। निर्णय की एक प्रति जिला कलेक्टर, पाली को भी प्रेषित की जावे। पत्रावली दर्ज फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

सम्भागीय आयुक्त,  
सम्भागीय आयुक्त  
जोधपुर